✲ राष्ट्रपति ✲

संसद :- संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में है

:- भाग - 5

:- संसद के तीन अंग है - (i) राष्ट्रपति (ii) राज्यसभा (iii) लोकसभा

:- संसद के दो सदन है - (i) राज्यसभा (ii) लोकसभा

⇒ राष्ट्रपति का पद USA से लिया गया है।

⇒ भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के महाराज या महारानी के साथ की जाती है

⇒ **राष्ट्रपति** :- राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 मे है

अनुच्छेद 53 :- शक्ति तथा कार्य

अनुच्छेद 54 :- निर्वाचन व्यवस्था

अनुच्छेद 61 :- महाभियोग

अनुच्छेद 62 :- रिक्त पद का वर्णन

अनुच्छेद 72 :- क्षमादान

अनुच्छेद 85 :- लोकसभा का विघटन

अनुच्छेद 108 :- लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते है।

अनुच्छेद 123 :- अध्यादेश जारी करना

अनुच्छेद 143 :- सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना।

SHIV SEGT

⇒ **विशेषताएँ** :- देश का प्रथम नागरिक होता है

:- तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है।

:- देश का कार्यपालिका प्रधान

⇒ **योग्यताएँ** :- भारत का नागरिक हो

:- 35 वर्ष उम्र हो

:- पागल या दिवालिया न हो

:- लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो)

Scanned by CamScanner

⇒ चुनाव प्रक्रिया :- 28 राज्यों व दिल्ली, पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य, लोकसभा, व राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

⇒ चुनाव की जमानत राशि → 15000 रुपये

⇒ चुनाव की शर्तें :- ① वोट 50% से ज्यादा मिले।

⇒ शपथ :- राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायधीश दिलाता है, यदि मुख्य न्यायधीश नहीं है तो SC का वरिष्ठतम न्यायधीश शपथ दिलाता है।

कार्यकाल :- 5 वर्ष

वेतन :- 5 लाख रुपये / महिना

इस्तीफा :- राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।

⇒ राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो SC का मुख्य न्यायधीश कार्य करेगा, यदि SC का मुख्य न्यायधीश भी नहीं है तो SC का वरिष्ठतम न्यायधीश कार्य करेगा।)

⇒ उपरोक्त तीनों मिलकर राष्ट्रपति के पद पर 6 माहिने से ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। 6 माहिने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है,

⇒ महाभियोग :- राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद - 61 में है।

↓

कारण :- संवैधानिक भ्रष्टाचार

⇒ राष्ट्रपति को 14 दिन पहले हटाने की सूचना दी जाती है। जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं वे सदस्य या तो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के, परंतु दोनों साथ नहीं होंगे।

⇒ यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होने पर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है।

⇒ आज तक यह प्रक्रिया किसी राष्ट्रपति पर नहीं चली।

Scanned by CamScanner

1 डॉ राजेन्द्र प्रसाद :- भारत के पहले राष्ट्रपति थे
:- यह दो बार राष्ट्रपति बने इनका कार्यकाल सबसे लंबा है।
:- इन्हें अजातशत्रु की संज्ञा दी जाती है।
:- पुस्तक → डिवाइडेड इंडिया
:- इनका समाधिस्थल महाप्रयाण घाट है

2 डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन :- भारत के पहले उपराष्ट्रपति व दूसरे के राष्ट्रपति।
:- पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति।
:- राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
:- इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते है।

3 डॉ जाकिर हुसैन :- भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति
:- सबसे छोटे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति
:- कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति
:- इनके बाद V.V. गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।

4 V.V. गिरी :- पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति
:- इनके समय दो बार गणना हुई
:- पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति।

5 नीलम संजीव रेड्डी :- सबसे युवा राष्ट्रपति
:- निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति

Scanned by CamScanner

6 ज्ञानी जेल सिंह :- पहले सिक्ख राष्ट्रपति
:- पॉकेट विटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति
1986 ई. मे डाक संरक्षण के लिए।
:- इनका समाधि स्थल → एकता स्थल

7 शंकरदयाल शर्मा :- सबसे वृद्ध राष्ट्रपति 76 वर्ष मे बने
:- समाधि स्थल :- कर्म भूमि

8 K.R. नारायण :- पहले दलित राष्ट्रपति

9 A.P.J. अब्दुल कलाम :- 2002 - 2007
:- पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति
:- पुस्तक → Wings of Fire
:- इन्हें मिसाइल मेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।

10 प्रतिभा सिंह पाटिल :- 2007-12
:- भारत की पहली महिला राष्ट्रपति
:- यह राज्यपाल भी रही → राजस्थान

11 प्रणव मुखर्जी :- 2012-17
:- हाल ही में इन्हे 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न दिया गया

12 रामनाथ कोविन्द :- 2017 - से अब तक
:- UP से संबंध रखते है
:- दूसरे दलित राष्ट्रपति
:- भारत के 14वे राष्ट्रपति

महत्वपूर्ण नोट :- (i) धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा मे पेश किया जाता है।

विटो शक्तियां :- (i) अत्यंतिक विटो → पास। रिजेक्ट
(ii) निलंबकारी विटो → संसद में वापिस
(iii) पॉकेट विटो → जवाब न देना

Scanned by CamScanner

✱ लोकसभा ✱

⇒ जनक :- गणेश वासुदेव मावलंकर अनुच्छेद :- 81

⇒ कार्यकाल :- 5 वर्ष न्यूनतम आयु :- 25 वर्ष

⇒ उपनाम :- (i) अस्थायी सदन MP ⇒ Member of Parliament
(ii) निम्न सदन
(iii) जनता का लोकप्रिय सदन

⇒ गठन :- लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ
लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई

⇒ सन 1954 मे इसका नाम लोकसभा रखा गया इससे पहले इसे House of People था।

⇒ लोकसभा के पहले आम चुनाव Oct. 1951 - Feb 1952 में हुए।

⇒ सन 1974 मे लोकसभा की 547 सीटे थी 1987 मे बढ़कर 552 हो गई। यह 1971 की जनगणना के कारण हुई।

⇒ वर्तमान में लोकसभा की 545 सीट है

⇒ अब 2026 के बाद ही सीटों की संख्या निश्चित होगी 2021 की जनगणना के अनुसार

SHIV JEET

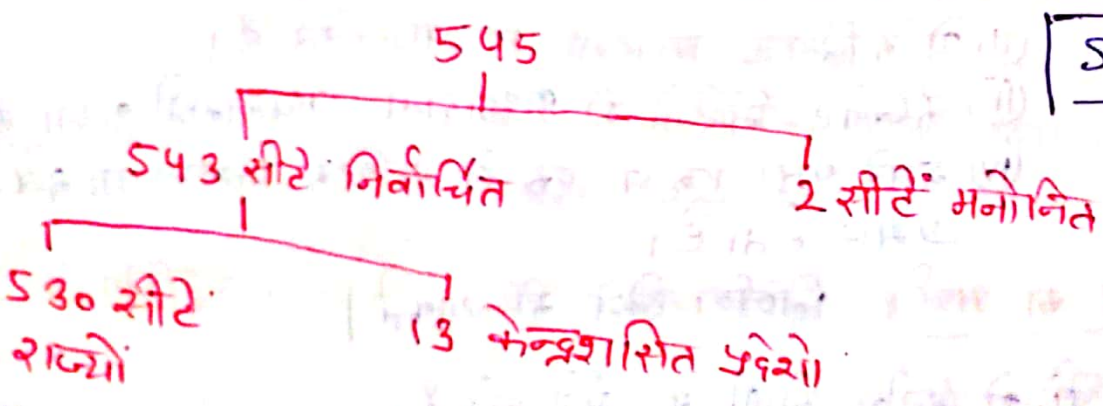

545
- 543 सीटे निर्वाचित
  - 530 सीटे राज्यो
  - 13 केन्द्रशासित प्रदेशो
- 2 सीटें मनोनित

⇒ केन्द्रशासित प्रदेशों मे सीटो की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है।

⇒ मनोनित सदस्य :- (i) 2 मनोनित सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद - 331 के अंतर्गत करता है

Scanned by CamScanner

⇒ मनोनित सीटों पर आंग्ल-भारतीयों को मनोनित किया जाता है

आंग्ल भारतीय का अर्थ:- वे अंग्रेज जो 1947 के बाद भारत रह गए तथा जिनका ईसाई धर्म है।

16वीं लोकसभा :- 16वी लोकसभा मे - प्रोफेसर रिचर्ड व जॉर्ज बेकर दो मनोनित सदस्य थे।

⇒ लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसिमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

⇒ आजतक 4 बार इस आयोग की नियुक्ति हुई है 1952, 1962, 1973, 2002

⇒ लोकसभा मे जिसके पास 273 सदस्य हो उसे बहुमत दल का नेता कहते हैं, यही प्रधानमंत्री होता है।

☆ प्रधानमंत्री ☆

अनुच्छेद 74:- इसमे देश के pm व उसकी मंत्रिपरिषद का वर्णन है।

अनुच्छेद 75:- इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है।

⇒ प्रधानमंत्री का एक मंत्रीमंडल होता है, जिसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं।

1. कैबिनेट मंत्री:- (i) ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं।
(ii) ये कैबिनेट मिटिंगो मे भाग लेते है।
(iii) कैबिनेट मिटिंगो की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है
(iv) इनके पास एक या एक से अधिक विभाग या स्वतंत्र प्रभार होता है।

स्वतंत्र प्रभार का अर्थ:- निर्णय लेने की शक्ति।

2. राज्य मंत्री:- (i) ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते है।
(ii) ये कैबिनेट मिटिंगों मे भाग नही लेते, प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर ही भागलेते है
(iii) इनको स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है नहीं भी।

3. राज्य मंत्री (उपमंत्री):- (i) तीसरी श्रेणी के मंत्री
(ii) स्वतंत्र प्रभार नही दिया जाता
(iii) कैबिनेट मिटिंग मे भाग नहीं लेते।
(iv) ये नाममात्र मंत्री होते है

Scanned by CamScanner

⇒ मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, वही उनको विभाग देता है, तथा उनका विभाग बदल भी सकता है।

⇒ यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री को व्यक्ति बना दिया जाता है जो न तो लोकसभा का सदस्य है, न ही राज्यसभा का तो उसे 6 महिने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं तो इस्तिफा देना पड़ेगा।

⇒ मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है वही उनका इस्तिफा लेता है

⇒ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होता है तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है

⇒ मंत्रीमंडल का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निश्चित हुआ कि लोकसभा की कुल सीटों का 15% से ज्यादा सदस्य मंत्री नही हो सकते।

✱ [प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न] ✱

पं जवाहर लाल नेहरू :- भारत के पहले प्रधानमंत्री
:- सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन
:- सबसे ज्यादा बार लाल किले से 17 बार @ 15 अगस्त को भाषण दिया।

गुलजारी लाल नंदा :- सबसे पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री 2 बार बने।

लाल बहादुर शास्त्री :- दूसरे प्रधानमंत्री
:- नारा → जय जवान - जय किसान

श्रीमती इन्दिरा गांधी :- भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री

मोरारजी देसाई :- सबसे वरिष्ठ आयु मे बनने वाले प्रधानमंत्री
:- प्रधानमंत्री पद से इस्तिफा देने वाले प्रथम PM
:- एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म दिन 29 Feb को आता है.

Scanned by CamScanner

⇒ लोकसभा का सामना न करने वाला PM ⇒ चौधरी चरण सिंह
⇒ प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था ⇒ PV. नरसिम्हा राव
⇒ प्रधानमंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य था ⇒ HD देवगौड़ा
⇒ लाल किले से एकबार भी भाषण न देने वाला PM ⇒ चन्द्रशेखर
⇒ सबसे छोटे कार्यकाल का PM (13 दिन) ⇒ अटल बिहारी वाजपेयी
⇒ सबसे युवा PM ⇒ राजीव गांधी
⇒ पहले सिक्ख PM ⇒ डॉ. मनमोहन सिंह, RBI के गवर्नर भी रहे।
⇒ वर्तमान प्रधानमंत्री ⇒ श्री नरेन्द्र मोदी जी

⇒ अविश्वास प्रस्ताव :- प्रधानमंत्री को "अविश्वास प्रस्ताव" द्वारा हटाया जाता है।
↳ इस प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पहले PM ⇒ विश्वनाथ प्रताप सिंह

⇒ पं जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री व इन्दिरा गांधी ऐसे PM थे जिनकी मृत्यु क्रमशः 1964, 1966, 1984 में कार्यकाल के दौरान हुई।

⇒ राज्यसभा सदस्य PM :- इन्दिरा गांधी, इन्द्र सिंह व डॉ. मनमोहन सिंह
⇒ मुख्यमंत्री से जो PM बने :- मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा
:- चौ. चरण सिंह → UP के CM रहे
↳ इन्हें किसान प्रधानमंत्री भी कहते हैं
:- विश्वनाथ प्रताप सिंह → UP के CM रहे
:- HD देवगौड़ा → कर्नाटक के CM रहे
:- नरेन्द्र मोदी जी → गुजरात के CM रहे।

⇒ जीवित प्रधानमंत्री :- (i) HD देवगौड़ा (ii) डॉ. मनमोहन सिंह (iii) मोदीजी

* [उपप्रधानमंत्री] *

⇒ उपप्रधानमंत्री का संविधान में कोई वर्णन नहीं है
⇒ पहले उपप्रधानमंत्री ⇒ सरदार वल्लभ भाई पटेल
⇒ मोरारजी देसाई व चौ. चरण सिंह ऐसे दो व्यक्ति हैं जो PM भी रहे व उपप्रधानमंत्री भी।
⇒ हरियाणा से एकमात्र उपप्रधानमंत्री :- चौ. देवीलाल
⇒ 2002-2004 → उपप्रधानमंत्री → लाल कृष्ण आडवाणी
⇒ 2004 से अब तक कोई उपप्रधानमंत्री नहीं बना

Scanned by CamScanner

[लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर)]

⇒ यह लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है, इसकी अलग से कोई शपथ नहीं होती, क्योंकि यह सांसद के रूप मे शपथ लेता है।
⇒ लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तिफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है।
⇒ लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 3.5 लाख होता है, जो केन्द्रसंचित नीधि के अंतर्गत दिया जाता है
⇒ लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया ⇒ अविश्वास प्रस्ताव
⇒ यह प्रक्रिया गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ चली जो पूरी नहीं हुई।
⇒ लोकसभा का पहला अध्यक्ष ⇒ गणेश वासुदेव मावलंकर
⇒ पहली महिला अध्यक्ष ⇒ मीरा कुमार
⇒ लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ⇒ ओम बिरला (कोटा बूंदी, राजस्थान)
⇒ नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे।

[राज्यसभा]

अनुच्छेद :- 80 कार्यकाल :- 6 वर्ष
योग्य न्यूनतम आयु :- 30 वर्ष
उपनाम :- द्वितीय सदन, उच्च सदन, विद्वानों का सदन
गठन :- 3 अप्रैल 1952 ई० को
:- 13 मई 1952 को पहली बैठक
:- 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया।
⇒ विश्व की सबसे शक्तिशाली राज्यसभा :- सीनेट (USA)
⇒ विश्व की सबसे कमजोर राज्यसभा :- लार्डसभा (इंग्लैंड)
⇒ राज्यसभा के सदस्य को MP कहते हैं जो 10 लाख जनसंख्या पर बनता है।

Scanned by CamScanner

निर्वाचित — 233 → 229 सीट (29 राज्यों), 5 सीट (दिल्ली व पांडुचेरी)

मनोनित — 12

संबंध :- कला, विज्ञान साहित्य व समाज सेवा

निर्वाचित सदस्य :- इन सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

मनोनित सदस्य :- राज्यसभा में मनोनित सदस्यों का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है,

↳ इन्हे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद - 80(3) के अंतर्गत मनोनित किया जाता है

⇒ 5 केन्द्रशासित प्रदेशों मे विधानसभा नही है इसलिए वहां राज्यसभा भी नहीं है।

⇒ राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यो की अधिकतम संख्या 238 हो सकती है।

⇒ हर दो वर्ष मे 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं तथा 1/3 ही नए चुने जाते हैं। इसलिए यह कभी भंग नहीं होती तथा यह स्थायी सदन है।

⇒ राज्यसभा या संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी विधेयक पहले राज्यसभा मे आता है, उसके बाद लोकसभा में आता है। राज्यसभा का दोनो विधेयकों पर पहला अधिकार है इसलिए यह उच्च सदन है।

⇒ राज्यसभा धन विधेयक को 15 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती।

⇒ अनुच्छेद - 249 के द्वारा राज्यसभा राज्यसूची के किसी भी विषय को ~~राष्ट्रहित~~ "राष्ट्रीय हित" घोषित कर सकती है,

⇒ आज तक इसका दो बार प्रयोग हुआ है → 1952, 1986

⇒ राज्यसभा अनुच्छेद - 312 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सर्जन करती है।

Scanned by CamScanner

⇒ सभापति :- सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। वही राज्यसभा की मीटिंगों की अध्यक्षता करता है।

⇒ ~~उपराष्ट्रपति~~ उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में 5 लाख/महिना वेतन मिलता है।

⇒ भारत का पहला उपराष्ट्रपति ⇒ डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

⇒ वर्तमान सभापति ⇒ M. वेंकैया नायडू

⇒ जब सभापति नहीं होता तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है।

⇒ उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

⇒ भारत का पहला उपसभापति ⇒ S.V. कृष्णराव मूर्ति

⇒ भारत का वर्तमान उपसभापति P.J. कुरियन

* उपराष्ट्रपति *

अनुच्छेद -63 ⇒ भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
" -64 ⇒ राज्यसभा के सभापति का कार्य
" -65 ⇒ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य
" -67 ⇒ समय काल
" -61 ⇒ शपथ के बारे में

Note :- उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में केवल राज्यसभा के सदस्य भाग लेते है।

⇒ राष्ट्रपति अनुच्छेद -123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है
इसका न्यूनतम समय ⇒ 6 week
" अधिकतम " ⇒ 6 month

⇒ राज्यपाल अनुच्छेद-213 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है

बजट सत्र ⇒ फरवरी से मई
मानसून सत्र ⇒ जुलाई से सितंबर
शीतकालीन सत्र ⇒ नवंबर से दिसंबर

Scanned by CamScanner

✱ [बिल] ✱

⇒ बिल 4 प्रकार का होता है।

1 साधारण बिल :- राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी सदस्य इस बिल को प्रस्तुत कर सकता है,

:- यह साधारण बहुमत से पास होगा।

2 धन विधेयक बिल :- अनुच्छेद - 110

→ राष्ट्रपति की अनुमति के बाद केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

→ लोकसभा स्पीकर यह बताता है कि धन विधेयक बिल है या नहीं।

→ इसमें राज्यसभा बदलाव नहीं कर सकती केवल सलाह दे सकती है।

→ राज्य सभा - 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती।

→ यह साधारण बहुमत से पास होगा।

→ राष्ट्रपति को पास करना होगा।

3 वितीय बिल :- धन विधेयक बिल वितीय बिल हो सकता है परंतु वितीय बिल धन विधेयक नहीं हो सकता।

↳ अनुच्छेद - 117

4 संविधान संशोधन :- अनुच्छेद - 368

:- साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 50% राज्यों की अनुमति

✱ [बहुमत] ✱

1 साधारण बहुमत → उपस्थिति का 50% से पास हो

2 पूर्ण बहुमत → इसमें दोनो सदनों मे अधिकतम सीटों के 50% से अधिक हो।

3 विशेष बहुमत → इसमें उपस्थिति का 2/3 भाग परंतु अधिकतम सीटों के 50% या उससे अधिक से पास हो।

4 प्रभावी बहुमत → जो खाली सीटें हैं उनको कुल सीटों में से घटाकर बची हुई सीटों का 50% से पास हो।

Scanned by CamScanner

✻ [आपातकाल] ✻

⇒ आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। यह 3 प्रकार का होता है।

1. राष्ट्रीय आपातकाल → अनुच्छेद 352
2. राज्य आपातकाल → अनुच्छेद 356
3. वित्तीय आपातकाल → अनुच्छेद 360

✻ [राष्ट्रीय आपातकाल] ✻

अनुच्छेद :- 352

प्रक्रिया :- कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखकर देता है। और साथ मे कारण बताता है।

(i) युद्ध (ii) बाह्य आक्रमण (iii) आंतरिक अशांति

⇒ फिर राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाता है यदि संसद इसे 30 दिनों मे पास कर दे तो देश मे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है।

⇒ यह एक बार मे 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। तथा 6-6 करके इसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है।

⇒ भारत मे आज तक यह 3 बार लगा है।

(i) 1962 → भारत-चीन युद्ध → भारत की हार

(ii) 1971 → भारत-पाक युद्ध → भारत की जीत

(iii) 1975 → आंतरिक अशांति → इन्दिरा गांधी ने लगवाया।

⇒ मौलिक अधिकारों पर प्रभाव :-

(i) अनुच्छेद-19 में दिया गया बोलने का अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है।

(ii) अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है,

⇒ लोकसभा पर प्रभाव :- इस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और एक-एक वर्ष करके इसे अंनत समय तक बढ़ाया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

⇒ संविधान के 44वां संशोधन 1978 के अनुसार आंतरिक अशांति को राष्ट्रीय आपातकाल के कारणों में से हटाकर जो नया शब्द जोड़ा गया उसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है।

⇒ इस संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल एक छोटे क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है।

✱ [राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)] ✱

अनुच्छेद :- 356

प्रक्रिया :- राज्यपाल इसके बारे में राष्ट्रपति को लिखकर देता है तथा साथ में कारण बताता है।

कारण :- संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना।

⇒ राष्ट्रपति इसे संसद में पेश करता है, यदि संसद इसे 60 दिन में पास कर दें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।

⇒ यह एक बार में 6 माह के लिए लग सकता है तथा 6-6 माह करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है।

⇒ यह सबसे पहले 1951 ई० में पंजाब के पटियाला जिसे PEPSU कहते हैं में लगा था - Patiala East Punjab State Union

⇒ केरल ऐसा राज्य है जिसमें ~~राष्ट्रपति~~ शासन सबसे पहले संपूर्ण राज्य में लगा → 1956 ई० में

⇒ अपवाद :- इसका अपवाद जम्मू-कश्मीर है जिसमें 5½ साल लगा था - 1990 - 1996 तक

⇒ यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए निम्न कारणों में से एक होना अनिवार्य है -

(i) चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा हो, तो

(ii) राज्य में पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा हो तो

Scanned by CamScanner

✱ [वित्तीय आपातकाल] ✱

⇒ अनुच्छेद ⇒ 360

⇒ राष्ट्रपति इसे स्वयं देखता है।

⇒ कारण :- (i) महँगाई का बढ़ना (ii) मुद्रा के मूल्य में कमी

⇒ राष्ट्रपति इस प्रस्ताव का संसद में रखवाता है यदि संसद इसे 60 दिन में पास कर दे तो देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है।

⇒ यह एक बार में दो माह के लिए लगया जा सकता है।

⇒ भारत में यह आज तक एक बार भी नहीं लगा।

⇒ वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी भी पदाधिकारी का वेतन कम कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति का वेतन कम नही होता।

Scanned by CamScanner

✱ [न्यायपालिका] ✱

⇒ ये स्वतंत्र तथा इकहरी न्यायपालिका में विभाजित है।

3 अंग :- (i) सुप्रीम कोर्ट → अनुच्छेद -124 → दिल्ली 28 जनवरी 1950 में
(ii) हाई कोर्ट / उच्च न्यायालय → अनुच्छेद - 214
(iii) जिला न्यायालय → अनुच्छेद - 233

⇒ जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस समय जजों की संख्या → 8 थी।

⇒ 2008 में जजों की संख्या 31 है इनमें से एक जज मुख्य है जिसका वेतन 2.80 लाख है तथा अन्य जजों की संख्या 30 है जिनका वेतन 2.50 लाख है, जो केन्द्र संचित निधि के अंतर्गत दिया जाता है

✱ वर्तमान में जजों की संख्या 34 है।

⇒ योग्यता :- (i) 5 साल किसी हाईकोर्ट में जज रहा हो।
(ii) किसी HC में 10 साल वकील रहा हो।
(iii) राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो।

⇒ सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, शपथ, बर्खास्तगी का अधिकार राष्ट्रपति को है।

⇒ SC का जज बनने की कोई न्यूनतम आयु या कार्यकाल नहीं है

⇒ SC के जज की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष होती है।

⇒ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष SC का रिटायर्ड जज होता है।

⇒ SC के जज को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी है।

⇒ कारण :- संवैधानिक कदाचार

⇒ हटाने का प्रस्ताव :- लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है यह 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए।

वीरामास्वामी पर यह प्रक्रिया चली लेकिन पूरी नहीं हुई।

⇒ यदि दिल्ली के अलावा कहीं और SC की पीठ लगानी हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है।

⇒ यह दो बार लगाई गई – 1950 हैदराबाद
1954 J&K

Scanned by CamScanner

⇒ SC का जज रिटायर होने के बाद भारत में कहीं भी वकील का कार्य नहीं कर सकता।

⇒ मुख्य न्यायधीश :-

⇒ प्रथम मुख्य न्यायधीश :- H.S. कानिया।

⇒ सबसे लंबा कार्यकाल :- Y.V. चन्द्रचूड़ - 7 वर्ष 170 दिन

⇒ सबसे कम कार्यकाल :- K.N सिंह - 17 दिन

⇒ स्वतंत्र भारत में जन्मा और SC का मुख्य न्यायधीश बनने वाला ⇒ सरोश होमी कपाड़िया

⇒ जनाहित याचिका का प्रावधान आया उस समय SC का मुख्य जज ⇒ P.N. भगवती 1986

PIL ⇒ Public Interest Ligation

⇒ 44 वां जज ⇒ जगदीश सिंह खेहर

⇒ 45 वां जज ⇒ दीपक मिश्रा

⇒ 46 वां जज ⇒ रंजन गगोई (वर्तमान)

⇒ वरिष्ठता का सिद्धांत तोड़ने वाला राष्ट्रपति ⇒ V.V. गिरी (1973) यह सिद्धांत तोड़कर बनाया गया जज ⇒ A.N. रे

⇒ अन्य जज बनने वाली पहली महिला ⇒ मीरा फातिमा बीवी

⇒ M. हिदायतुल्ला ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति व SC का मुख्य जज बना।

[सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां]

⇒ मौलिक अधिकारों की रक्षक व प्रहरी।

⇒ अनुच्छेद 131 ⇒ में दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटान प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।

⇒ अनुच्छेद 129 ⇒ के अनुसार अभिलेख न्यायालय क्योंकि HC व जिला न्यायालय इसके अनुसार फैसले देते है।

⇒ अनुच्छेद 143 ⇒ राष्ट्रपति को सलाह देना।

⇒ अनुच्छेद 137 ⇒ सुप्रीम कोर्ट को विधायिका के कानून की शक्ति है।

★ SHIVJEET 9729504909

Scanned by CamScanner

*उच्च न्यायालय | हाइकोर्ट *

अनुच्छेद :- 214

⇒ हाइकोर्ट की स्थापना इंडियन हाइकोर्ट एक्ट के अनुसार 1861 ई० में हुई।

1862 : मे सबसे पहले तीन हाइकोर्ट खुली।

1 मुंबई :- गोवा, महाराष्ट्र तथा दमनदीव व दादरा नगर हवेली इसके अंतर्गत आते है।

2 कलकत्ता :- पं बंगाल व अंडमान निकोबार

3 मद्रास :- तमिलन

हाइकोर्ट की स्थापनाएँ

1 इलाहाबाद → 1866
2 पटना (बिहार) ⇒ 1916
3 आंध्र प्रदेश / तेलगांना → 1954 → दोनो एक मे ही है।
4 सिक्किम → ~~1956~~ 1975
5 जम्मू-कश्मीर → 1957
6 केरल → 1958
7 गुजरात → 1960
8 दिल्ली → 1966
चण्डीगढ़ → 1966
9 गुवाहाटी (असम) → 1948 → इसमें पहले 7 राज्य थे लेकिन अब 4 है। – असम, नागालैंड, मिजोरम अरूणाचल प्रदेश
10 जबलपुर mp → 1956
11 हिमाचल प्रदेश → 1971
12 जोधपुर (राज०) → 1949
13 नैनिताल (उत्तराखण्ड) / रांची (झारखण्ड) / बिलासपुर (छतीसगढ़) → 2000
14 मणिपुर / त्रिपुरा / मेघालय → 2013

⇒ 25 हाइकोर्ट मे जजों की संख्या ⇒ 1017 जज
सबसे ज्यादा जज ⇒ इलाहाबाद हाइकोर्ट मे
सबसे कम जज ⇒ सिक्किम हाइकोर्ट मे

Scanned by CamScanner

⇒ दिल्ली एकमात्र ऐसा केन्द्रशासित प्रदेश है, जिसकी अलग हाइकोर्ट है।
⇒ हाइकोर्ट मे जजों की संख्या निश्चित करने का अधिकार → राष्ट्रपति
⇒ मुंबई हाइकोर्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा 2 केन्द्रशासित प्रदेश आते हैं.
⇒ हाइकोर्ट का जज बनने की योग्यता →
(i) 10 साल किसी हाइकोर्ट में वकील रहा हो।
(ii) 10 साल न्यायिक पद पर रहा हो।

⇒ नियुक्ति व इस्तिफा → राष्ट्रपति
⇒ शपथ → राज्यपाल
⇒ वेतन :- मुख्य का - 2.5 लाख
अन्य का - 2.25 लाख } राज्य संचित निधी के तहत
⇒ HC के जज की कोई न्यूनतम आयु या कार्यकाल नहीं होता।
⇒ रिटायर - 62 वर्ष अधिकतम - 65 वर्ष
⇒ पेंशन → केन्द्र संचित निधी के अंतर्गत दी जाती है।

✡ जिला न्यायधीश ✡

⇒ जिला न्यायालय / सेशन कोर्ट → अनुच्छेद - 233
⇒ 2 तरह के न्यायालय होते हैं (i) फौजदारी न्यायालय / क्रिमिनल कोर्ट → सत्र जज
(ii) दीवानी न्यायालय / सिविल कोर्ट → जिला जज

Scanned by CamScanner

[विधानमंडल]

⇒ अनुच्छेद → 168 → इसके तीन अंग है।

(i) राज्यपाल 153 (ii) विधानसभा 170 (iii) विधापरिषद 169

÷ राज्यपाल ÷

अनुच्छेद :- 153

वेतन :- 3.5 लाख / महिना → राज्य संचित नीधि से

विशेषताएँ :- (i) राज्य का प्रथम व्यक्ति
(ii) कार्यपालिका प्रधान

योग्यता :- (i) भारत का नागरिक हो।
(ii) 35 वर्ष उम्र हो
(iii) पागल या दिवालिया न हो
(iv) विधानसभा का सदस्य हो।

अनुच्छेद - 161 → के तहत राज्यपाल फांसी की सजा को छोड़कर माफ कर सकता है।

नियुक्ति संबंधी → (i) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।
(ii) राज्य वित आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
(iii) राज्य चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
(iv) राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
(v) उपराज्यपाल की नियुक्ति

⇒ कुलपति - Voice Chanslor → राज्यपाल ही होता है

⇒ राज्य के Advocate General की नियुक्ति करता है

⇒ जिला न्यायधीशों की नियुक्ति करता है।

⇒ पहली महिला राज्यपाल → सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश)

सरोजिनी नायडू ने "राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के सामान कहा।

Scanned by CamScanner

※ विधानसभा ※

अनुच्छेद :- 170 अधिकतम सीट → 500

न्यूनतम सीटें – 60 योग्य आयु → 25 वर्ष

अपवाद → पुदुचेरी → 30 कार्यकाल → 5 वर्ष

सिक्किम → 30 MLA → Member of Legislative ~~Assembly~~ Assembly

गोवा → 40

मिजोरम → 40

⇒ दो प्रकार के सदस्य होते हैं → (i) निर्वाचित (ii) मनोनित

⇒ अनुच्छेद – 333 → के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य मनोनित करता है, जो आंग्ल समुदाय से संबंध रखता हो।

⇒ विधायकों को शपथ → विधानसभा अध्यक्ष दिलाता है।

मुख्यमंत्री :- अनुच्छेद – 163 के अनुसार मुख्यमंत्री व उनकी मंत्रीपरिषद होगी।

→ अनुच्छेद – 164 के अनुसार राज्यपाल cm की नियुक्ति करता है

⇒ मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। वह उनका विभाग बदल भी सकता है।

⇒ मंत्री को शपथ → राज्यपाल

⇒ मंत्री का इस्तिफा → राज्यपाल

⇒ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेवार होते हैं।

⇒ मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं।

⇒ विधानसभा मिटिंगों की अध्यक्षता → विधानसभा अध्यक्ष

⇒ हर 5 साल बाद विधानसभा भंग होती है और राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर भंग करता है।

⇒ यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महिने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना पडेगा नहीं तो उसे इस्तिफा देना पडेगा।

Scanned by CamScanner

विधानपरिषद

गठन:- राज्य की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पास करके संसद मे भेजा जाता है यदि संसद साधारण बहुमत से पास कर दे तो उस राज्य में विधानपरिषद का गठन हो जाता है

भारत मे कुल 7 विधानपरिषद है:-

जम्मू कश्मीर	– 36
उत्तर प्रदेश	– 99
बिहार	– 75
महाराष्ट्र	– 78
कर्नाटक	– 75
आंध्र प्रदेश	– 50
तेलगांना	– 40

Note:- वर्तमान मे 6 राज्यों में विधानपरिषद है, जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश बन गया है।

⇒ किसी भी राज्य की विधानपरिषद मे अधिकतम सीटे उस राज्य की विधानसभा की सीटों का 1/3 होता है।

⇒ न्यूनतम सीटे → 40

अपवाद → जम्मू-कश्मीर 36

सर्वाधिक सीटें → 99 उत्तर प्रदेश

Note: राजस्थान मे विधानपरिषद प्रस्तावित है, जिसमे कुल 66 सीटे होगी।

⇒ विधान परिषद साधारण विधेयक को प्रथम बार अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है।

⇒ कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनित किए जाते है।

⇒ कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते है।

⇒ कोरम (गणपूर्ति) कम-से-कम – 1/10 सदस्य

⇒ विधानपरिषद का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित राज्य का मतदाता होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

÷ मंत्रिमंडल का आकार ÷

⇒ 91वें संविधान संशोधन 2003 :- के अनुसार यह निश्चित किया गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए।

⇒ मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया ⇒ अविश्वास प्रस्ताव

⇒ विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती क्योंकि दोनों ही विधानसभा के सदस्य होते हैं तथा विधायक की शपथ लेते हैं।

⇒ यदि विधानसभा अध्यक्ष बिना बताए 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है।

÷ [स्थानीय सरकार] ÷

÷ पंचायत :- पंचायत से संबंधित पहली समिति ⇒ बलवंत राय मेहता समिति

⇒ पहले पंचायती चुनाव 2 अक्तुबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में हुए हैं।

⇒ पूरे राज्य मे एक साथ पंचायत के चुनाव करने वाला राज्य ⇒ आंध्रप्रदेश

⇒ अशोक राय मेहता समिति → 1977

⇒ 73वें संविधान संशोधन 1992 में हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसमें पंचायत का वर्णन है। पंचायत को काम करने के लिए 29 विषय दिये है।

⇒ पंचायत का वर्णन भाग-9 में है। पंचायत की परिभाषा अनुच्छेद 243 में दी गई है।

⇒ पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

⇒ पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

⇒ मतदाता की आयु 18 वर्ष है।

⇒ पंचायत के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया ⇒ अविश्वास प्रस्ताव जो कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए।

⇒ अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के पहले 2 वर्ष तथा अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता।

Scanned by CamScanner

⇒ यदि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो उसके खिलाफ 1 साल से पहले दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता।

⇒ पंचायत की कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए रिज़र्व है।

⇒ अनुसूची जाती और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार चक्रीय क्रम में सीटें आरक्षित है।

⇒ पंचायत सदस्यों को शपथ | हटाना | इस्तीफा → DC करता है।

: ग्राम सभा :

⇒ उन लोगो की सभा जो गांव के निवासी है, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा उन्होंने अपना वोट बनवा लिया।

⇒ पं जवाहर लाल नेहरू ने पंचायत को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा है।

⇒ पंचायत का जन्मकाल: पं जवाहर लाल नेहरू के समय काल को माना जाता है।

⇒ पंचायत का पतनकाल इन्दिरा गांधी के समय का है।

⇒ पंचायत का स्वर्णकाल राजीव गांधी के समय को कहा जाता है।

⇒ पंचायत तीन तरह की होती है।

: ग्राम पंचायत :

⇒ पंचों व सरपंचों से मिलकर बनी पंचायत को ग्राम पंचायत कहते है।

⇒ ग्राम पंचायत को तीसरे स्तर की सरकार भी कहा जाता है

⇒ इसे प्रत्यक्ष सरकार भी कहते है।

⇒ पंचों व सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है,

⇒ स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत ही होती है,

: ब्लॉक समिति | पंचायत समिति :

⇒ इसके सदस्यों को पार्षद कहते हैं, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते है।

⇒ ये अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते है।

Scanned by CamScanner

÷ जिला पंचायत / जिला परिषद ÷

⇒ इसके सदस्य को पार्षद कहते है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते है।
⇒ ये अपने मे से एक चेयरमेन और एक डिप्टी चेयरमेन चुनते है।

÷ शहरी निकाय ÷

भाग :- 9A अनुच्छेद :- 243 त से य अनुसूची ÷ 12
विषय :- 18

⇒ इसमें महिलाओ की 33% सीटें आरक्षित है।
⇒ इसमें भी SC तथा ST की जनसंख्या के अनुसार चक्रीय क्रम मे सीटें रिजर्व है।
⇒ इसके अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया → अविश्वास प्रस्ताव
⇒ यह तीन तरह की होती है →

1 नगर पालिका :- जहां 20000 से अधिक जनसंख्या तथा 3 लाख से कम है, वहां नगर पालिका होती है। इसके सदस्य को पार्षद कहते है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते है

2 नगर-परिषद :- 3 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर मे नगर परिषद होती है

3 नगर ~~पालि~~ निगम :- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मे नगर-निगम होता है।
→ इनमें एक मेयर व एक उप मेयर होता है।
→ मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है।
→ पहला नगर-निगम मद्रास 1667 मे बना।

SHIV JEET
9729504909

Scanned by CamScanner

÷ संविधान ÷

→ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस दिन डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। क्योंकि वे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। इस तरह वरिष्ठ सदस्य चुनने की प्रक्रिया को फ्रेंच प्रैक्टिस कहा जाता है। इस बैठक में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया।

* 11 दिसंबर 1946 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तथा उसी दिन B.N. राव को वैधानिक / कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया।
* 13 दिसंबर 1946 को पं जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने "उद्देश्य प्रस्ताव" रखा।
* 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया।
* प्रारूप समिति → प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ
  → इसमें 7 सदस्य थे

अंबेडकर	1. भीमराव अंबेडकर → अध्यक्ष
आये	2. N.G. अयंगर
मित्र	3. N. माधवराव → B.L. मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया (↳ स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिया)
मुंशी	4. K.M. मुंशी
कृष्णा	5. कृष्णा स्वामी अयंगर
साथ	6. सय्यद मोहम्मद सादुल्लाह
खेत	7. T.T. कृष्णाचारी → D.P. खेतान के स्थान पर बने

डॉ० भीमराव अंबेडकर :- (मृत्यु) को आधुनिक मनु व संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है।

→ प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। इसकी कुल 141 बैठकें हुई।

⇒ 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया परंतु लागू नहीं किया गया। सिर्फ नागरिकता से संबंधित 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया।

⇒ 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया।

⇒ पं जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।

⇒ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी को इसलिए लागू किया क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था।

Scanned by CamScanner

⇒ डॉ. भीमराव अंबेडकर को पहले बंगाल से चुनाव हुआ बाद में बंबई से चुना गया।

⇒ हैदराबाद एक ऐसी रियासत है, जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया।

⇒ संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष → लॉर्ड वावेल
संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष → HC मुखर्जी
→ TT कृष्णाचारी

⇒ कुल 567 देशी रियासतें थी। इनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है

⇒ अंत में तीन रियासतें बची है - (1) हैदराबाद → इसे पुलिस बल द्वारा मिलाया गया।
(2) जूनागढ़ → इसे जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया।
(3) जम्मू & कश्मीर → इसे "विलय पत्र" द्वारा मिलाया गया।

⇒ बिस्मार्क वो व्यक्ति है जिसने जर्मनी का एकीकरण किया।

⇒ संविधान बनाने वाली 13 समितियाँ →

1. संघ समिति → संविधान → पं जवाहर लाल नेहरू
2. संघ शक्ति समिति → पं जवाहर लाल नेहरू
3. नियम समिति → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
4. संचालन समिति → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
5. रियासत समिति → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6. वैधानिक सलाहकार समिति → B.N. राव (बेनेगल राव)
7. कार्य संचालन समिति → श्री K.M. मुंशी
8. प्रांतीय समिति → सरदार वल्लभ भाई पटेल
9. मूल अधिकार उपसमिति → आचार्य J.B. कृपलानी
10. अल्पसंख्यक समिति → H.C. मुखर्जी
11. ~~संघ~~ झंडा समिति → आचार्य J.B. कृपलानी
12. प्रारूप / ड्राफ्ट / मसौदा समिति → डॉ. B.R. अंबेडकर

महत्वपूर्ण नोट :-

⇒ संविधान बनाने की पहली मांग किस विधेयक में उठी थी?
→ बाल गंगाधर तिलक ने 1896 स्वराज्य विधेयक में

⇒ संविधान बनाने की मांग महात्मा गांधी ने कब उठाई?
→ 1922 ई० में

⇒ भारत का संविधान लिखने का प्रयास सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया?
→ मोती लाल ने नेहरू रिपोर्ट में 1928 ई० में

⇒ संविधान बनाने की औपचारिक मांग कब उठी थी?
→ M.N. रॉय 1934 में

Scanned by CamScanner

⇒ "अगस्त प्रस्ताव" भारत कब आया था? → अगस्त 1940
⇒ 1942 में कौन-सा मिशन आया था? → क्रिप्स मिशन
⇒ भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना? → कैबिनेट मिशन 1946
⇒ संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? → 389

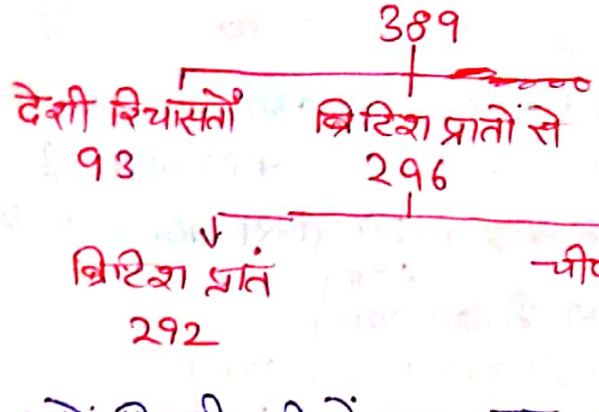

⇒ 1946 में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? → 296

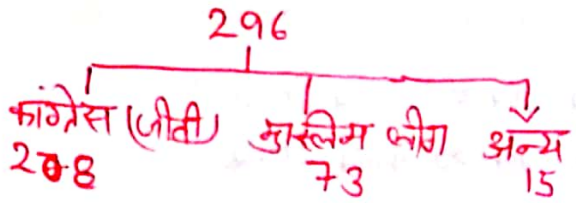

⇒ 296 सीटों में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता → 15 महिलाएँ
⇒ सीटों का अनुपात क्या था? → 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव
⇒ किस पार्टी ने संविधान सभा का बाद में बहिष्कार कर दिया?
↳ मुस्लिम लीग ने
⇒ 24 जनवरी 1950 को हमने कितने चीजें अपनाया था — 3.
→ राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान
⇒ राष्ट्रीय गान की न्यूनतम अवधि कितनी है — → 20 सेकंड
⇒ राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया → 1896 कलकत्ता अधिवेशन
⇒ राष्ट्रीय गीत की अवधि कितनी है → 65 सेकंड / 1 मिनट 5 सेकंड
⇒ विधि दिवस या कानून दिवस → 26 नवंबर
⇒ हमने "प्रस्तावना" किस देश से ली है → अमेरिका
⇒ हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है → ब्रिटेन
⇒ हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली है → ब्रिटेन
⇒ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिए है → आस्ट्रेलिया
⇒ "शक्तियों का विभाजन" हमने कहाँ से लिया है → कनाडा
⇒ "राज्यपाल" का पद कहाँ से लिया है → कनाडा
⇒ प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है → हम भारत के लोग
⇒ 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद - 395 अनुसूची - 8

Scanned by CamScanner

⇒ प्रस्तावना पर "केशवानंद भारती विवाद" कब हुआ → 1973
⇒ प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है — 1 बार → 42वां 1976
⇒ "प्रस्तावना" को संविधान का परिचयपत्र किसने कहा → N.A. पालकीवाला ने बोला
⇒ "प्रस्तावना" को राजनैतिक जन्मपत्री" किसने कहा → K.M. मुंशी
⇒ "प्रस्तावना" को "संविधान की आत्मा" किसने कहा → ठाकुरदास भार्गव
⇒ 42वें संविधान संशोधन 1976 को प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए → 3 शब्द

÷ भारतीय संविधान के स्त्रोत ÷

⇒ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
⇒ भारत का संविधान 60 देशों का अध्ययन करके बनाया गया है।
⇒ इसे वकीलों का संविधान व उधार का थैला भी कहते हैं।
⇒ अमेरिका 1776 ई० में आजाद हुआ तथा 1789 ई० को इसका संविधान लागू हुआ जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान व सबसे छोटा संविधान है।
⇒ इंग्लैण्ड (ब्रिटेन) का संविधान अलिखित है, जिसमें 7000 शब्द है।

÷ विदेशों से लिए गए प्रावधान ÷

1 USA (अमेरिका) :- स्वतंत्र न्यायपालिका :- सुप्रीम कोर्ट
:- न्यायिक समीक्षा
:- मौलिक अधिकार
:- उपराष्ट्रपति का पद
:- राष्ट्रपति का महाभियोग
:- प्रस्तावना

2 इंग्लैण्ड → राष्ट्रपति का पद
→ विधी (कानून) का शासन
→ संसदीय व्यवस्था
→ मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से जिम्मेवारी लोकसभा के प्रति
→ एकल नागरिकता
→ अखिल भारतीय सेवाएं
→ राष्ट्रपति का संवैधानिक के रूप में पद
→ मंत्रीपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
→ द्विसदनीय व्यवस्था

Scanned by CamScanner

3 आयरलैंड :- राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
:- राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
:- राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान

4 कनाडा :- संघीय व्यवस्था जिसका अर्थ केन्द्र तथा राज्य दोनों स्वतंत्र हैं, परंतु हमने अर्द्धसंघीय ~~व्य~~ व्यवस्था अपनाई है जिसमें केन्द्र तथा राज्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
:- अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान
:- शक्तियों का विभाजन
:- राज्यपाल को ~~केन्द्र~~ केन्द्र द्वारा नियुक्ति

5 स्वीडन :- लोकपाल का प्रावधान

6 आस्ट्रेलिया :- समवर्ती सूची
:- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
:- प्रस्तावना की भाषा
:- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

7 रूस :- पंचवर्षीय योजना
:- मौलिक कर्तव्य
:- राज्यपाल का पद

8 जर्मनी :- आपातकालीन शक्तियाँ

9 दक्षिण अफ्रीका :- संविधान संशोधन → अनुच्छेद-368
:- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

10 जापान :- कानून शब्द
:- अनुच्छेदों की परिभाषा

11 फ्रांस :- गणतंत्र शासन प्रणाली
:- स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द लिए

Scanned by CamScanner

ः प्रस्तावना | उद्देशिका | संविधान की कुंजी ः

⇒ पं जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के संक्षिप्त रूप को प्रस्तावना कहते है।

⇒ प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय करवाती है।

⇒ 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। जहाँ पर संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहाँ उसके वर्णन का अधिकार सुप्रीमकोर्ट को है

⇒ प्रस्तावना के मूल ढाँचे मे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता न ही कोई नकारात्मक परिवर्तन किया जाता है।

⇒ प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है आज तक प्रस्तावना मे केवल एक बार संशोधन हुआ है। वह 42वाँ संशोधन 1976 हुआ। जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गया।

1 समाजवाद 2 अखण्डता 3 धर्मनिरपेक्ष | पंथ निरपेक्ष

⇒ प्रस्तावना मे भारत शब्द का केवल दो बार प्रयोग हुआ है।

⇒ भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया यह बात प्रस्तावना में लिखि है।

⇒ प्रस्तावना की भाषा आस्ट्रेलिया से ली गई है।

⇒ "हम भारत के लोग" ये शब्द अमेरिका से लिए गए है।

⇒ "लोग" शब्द का प्रस्तावना में केवल एक बार प्रयोग हुआ है।

⇒ प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम ः

Sovereign → संप्रभुता
Socialist → समाजवाद
Secular → धर्म-निरपेक्ष
Democracy → प्रजातंत्र | लोकतंत्र
Republic → गणतंत्र

Scanned by CamScanner

∗ ÷ संविधान ÷ ∗ Shiv Jeet

⇒ संविधान मे कुल 22 भाग है। इसमें कोई नया भाग नहीं जुड़ेगा केवल उपभाग जुड़ेगे। अब तक 3 उपभाग जोड़े गए हैं।
→ 4A, 9A, 14A

⇒ भारतीय संविधान जब बना उस समय से 395 अनुच्छेद है। तथा कोई नया अनुच्छेद नहीं जुड़ेगा केवल उप अनुच्छेद ही जोड़े जा सकते है। "a" का अर्थ यह अनुच्छेद संविधान के साथ का है तथा "A" का अर्थ यह बाद में जोड़ा गया।

⇒ वर्तमान अनुच्छेदो व उप अनुच्छेदों को जोड़कर कुल अनुच्छेद → 465 अनुच्छेद

⇒ भारत के संविधान मे पहले 8 अनुसुचियां थी परंतु अब 12 अनुसूचियां है।

÷ अनुसूची ÷

अनुसुची 1 :- हमारे देश का नाम भारत है तथा यह राज्यों का संघ है। जिसमें 28 राज्य तथा 9 केन्द्रशासित प्रदेश है।

अनुसुची 2 :- राजव्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का वर्णन मिलता है।

अनुसुची 3 :- इसमें राजव्यवस्था के अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है।

अनुसुची 4 :- इसमे केन्द्र व राज्य के बीच राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का वर्णन है।

अनुसूची 5 :- इसमें अनुसूची क्षेत्र व अनुसूचीत जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन है।

अनुसूची 6 :- इसमे केवल अनुसुचित जनजाति से संबंधित 4 विशेष राज्यों → मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का वर्णन है। इन राज्यों को विकसित करने के लिए इन्हें विशेष महत्व दिया गया है।

Scanned by CamScanner

अनुसूची 7:- इसमें शक्तियों का बंटवारा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच किया गया है। इन दोनों प्रकार की सरकारों के बीच 3 प्रकार की शक्तियां हैं →

(i) संघ सूची :- यह वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। इसमे पहले 97 विषय थे अब 100 विषय हो गए हैं।

(ii) राज्य सूची :- वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें पहले 66 विषय थे अब 61 विषय है

(iii) समवृति सुची :- यह वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य व केन्द्र दोनों को है। यदि किसी कानून के लिए दोनों मे मतभेद हो तो अंतिम फैसला केन्द्र सरकार का होगा। इसमें पहले 47 विषय थे अब 52 विषय है।

Note:- शिक्षा को समवृति सूची मे रखा गया है।

अवशिष्ट शक्तियां :- जिस पर कानून बनाने का अधिकार ससंद के पास है। इस के द्वारा बनाया गया पहला कानून → साइबर कानून - 2002 है।

अनुसूची 8:- इसमें राजभाषाओं का वर्णन है। संविधान लागू हुआ उस समय 15 राजभाषाएं थी, परंतु आज 22 भाषाएं है।

→ 15 वी भाषा सिंधी → 21 वे संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई।

→ 16, 17, 18 वी भाषाएं → 71 वां संविधान संशोधन, 1992 ई० मे नेपाली, मणिपुरी व कोकंणी जोड़ी गई।

→ 19, 20, 21, 22 वी भाषाएं → 92 वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी व बोडो जोड़ी गई।

अनुसूची 9:- यह संविधान के पहले संशोधन 1951 में जोड़ी गई

→ इसका संबंध राज्य संपत्ति अधिग्रहण से है।

→ 24 अप्रैल 1973 के बाद अनुसूची-9 के विषय मे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती।

Scanned by CamScanner

अनुसूची 10 ⇒ यह सूची संविधान के 52वे संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। यह दलबदल से संबंधित है। इसका संबंध राजनीतिक दलों से हैं।

→ राजनीतिक दल दो तरह के होते है राष्ट्रीय दल व क्षेत्रिय दल। राष्ट्रीय दल → 8 क्षेत्रीय दल → 49

राष्ट्रीय दल	संस्थापक
1 नेशनल पिपुल्स पार्टी	→ P.A. संगमा
2 बहुजन समाज पार्टी	→ कांशीराम
3 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	→ मानवेन्द्र नाथ राय
4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	→ E.m.s नम्बूदरीपद → ज्योति बसु → हरिकिशन सिंह सुरजित
5. भारतीय जनता पार्टी	→ अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी
6. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	→ A.O. ह्यूम
7. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	→ शरद पवांर
8. सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस	→ ममता बनर्जी

⇒ पहले दल बदलने के लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी। लेकिन अब 91वे संशोधन 2003 मे 2/3 कर दी गई है।

अनुसूची 11:- यह 73वे संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई।

→ इसका संबंध पंचायत से है।

→ पंचायत को काम करने के लिए 29 विषय दिए है।

अनुसूची 12:- यह 74 वे संशोधन 1992 मे जोड़ी गई

→ इसका संबंध शहरी निकाय से है

→ शहरी निकाय को काम करने के लिए 18 विषय दिए है।

Scanned by CamScanner

÷ भाग-1 ÷

→ इसमें अनुच्छेद-1 से 4 तक का वर्णन है जिसका संबंध भारत ~~के सत्य~~ व उसके संघ राज्य क्षेत्रों से है।

→ अनुच्छेद-1 :- देश का नाम भारत है यह राज्यों का संघ है इसमें 28 राज्य व 9 केन्द्रशासित प्रदेश है।

→ अनुच्छेद-2 :- इसके अनुसार किसी नए राज्य की स्थापना व गठन की प्रक्रिया बताई गई है।

→ अनुच्छेद-3 :- इसके अनुसार राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन होगा।

÷ भाग-2 ÷

→ भाग-2 में नागरिकता का वर्णन है।
→ इसमें अनुच्छेद-5 से 11 तक है।
→ नागरिकता दो तरह की होती है — (i) एकल (ii) दोहरी
→ भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है।
→ नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं —

1. जन्म से
2. वंश से
3. पंजीकरण से → समय सीमा - 5 साल
4. देशीकरण से → समय सीमा - 10 साल
5. नए भू-भाग को भारत में शामिल करके

→ हम नागरिकता 3 प्रकार से त्याग सकते हैं —

1 स्वयं त्याग कर
2 समाप्त करना → समाप्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है।
3 छीन कर → नागरिकता छीनने का अधिकार कोई के पास है

→ अनुच्छेद-5 ÷ में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नागरिकता में बदलाव कर सकती है।

Scanned by CamScanner

÷ भाग-3 ÷

SHIVJEET

→ भाग-3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
→ मौलिक अधिकार अनुच्छेद-12 से 35 तक है।

परिभाषा:- मौलिक अधिकार वो न्यूनतम अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सर्वांगीण विकास से हमारा अभिप्राय मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास से है।

⇒ मौलिक कर्तव्यों की रक्षक SC व HC है। वही इन्हें लागू करती है।
⇒ मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है।
⇒ संविधान लागू हुआ @उस समय 7 मौलिक अधिकार थे
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है।

1. समानता का अधिकार:- अनुच्छेद-14 से 18
अनुच्छेद 14:- कानून सबके लिए बराबर है
अनुच्छेद 15:- किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, रंग जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
अनुच्छेद 16:- अवसर की समानता (आरक्षण का वर्णन)
अनुच्छेद 17:- छुआ छुत का अंत
अनुच्छेद 18:- उपाधियों का अंत लेकिन आज भी दो तरह की उपाधियां दी जाती है
÷ सैन्य:- (i) परमवीर चक्र (ii) महावीर चक्र (iii) वीर चक्र
शैक्षणिक:- डॉक्ट्रेट की मानक उपाधि
→ भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्म श्री इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते है।
→ यदि आपको किसी अन्य देश से कोई उपाधि मिलने वाली है तो उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी।

2. स्वतंत्रता का अधिकार:- अनुच्छेद 19-22
अनुच्छेद 19 ÷ बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
→ इस मौलिक अधिकार में कुल 6 स्वतंत्रताएं है।
(i) राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार
(ii) प्रेस की आजादी
(iii) कहीं पर भी आने जाने का अधिकार

Scanned by CamScanner

(iv) व्यवसाय चुनने का अधिकार
(v) कहीं पर भी रहने का अधिकार

अनुच्छेद 20 :- कुछ अपराधों के संबंध मे सरक्षंण जैसे व्यक्ति को खुद के लिए गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 :- प्राण एंव दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 21A :- शिक्षा का अधिकार जो 86वे संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यह अधिकार 6-14 वर्ष के बच्चों को दिया गया।

अनुच्छेद 22 :- गिरफ्तारी एंव निरोध से संरक्षण

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :- अनुच्छेद 23-24

अनुच्छेद 23 :- मानव दुर्व्यापार एंव बलात श्रम पर रोक

अनुच्छेद 24 :- बाल श्रम पर रोक।
↳ यदि कोई 6-14 वर्ष के बच्चो से काम करवाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ गैर-जमानती सजा का प्रावधान है।

~~अनुच्छेद~~ 4 धार्मिक स्वतन्त्रा का अधिकार :- अनुच्छेद 25-28

अनुच्छेद 25 :- धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात किसी भी धर्म को मानने, अपनाने व प्रचार करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 26 :- धार्मिक ~~स्वतंत्रता~~ प्रबंधन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 :- धार्मिक कर के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 28 :- शैक्षणिक संस्थाओं मे धार्मिक निर्देशों के संबंध में उपस्थित रहने के लिए संरक्षंण।

→ शैक्षणिक संस्थाएं 3 प्रकार की होती है →

1. सरकारी
2. अर्द्धसरकारी
3. निजी

Scanned by CamScanner

1 सरकारी :- इसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती न ही धार्मिक कार्यों में उपस्थित रहने के लिए बाध्य किया जाता।

2 अर्द्ध सरकारी :- इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है परंतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

3. निजी :- इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है।

5. शिक्षा और संस्कृति का अधिकार :- अनुच्छेद 29-30

अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 :- इस अनुच्छेद के अनुसार अल्प संख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों का अपनी भाषा एवं लिपी में प्रशासन एवं प्रबंधन करने का अधिकार है।

Note :- अल्पसंख्यकों का विभाजन दो तरीके से किया जाता है।

(i) धर्म के आधार :- इसका अधिकार संसद को है।

(ii) भाषा के आधार :- इसका अधिकार विधानसभा के पास है।

⇒ पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद-31 के अनुसार मौलिक अधिकारों में आता था। परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कानूनी / वैधानिक / संवैधानिक अधिकार बना दिया।

→ जिसका वर्णन अनुच्छेद-300A में है

⇒ यह काम मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था।

6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार :- अनुच्छेद 32-35

अनुच्छेद 32 :- इस अनुच्छेद को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है।

→ यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह SC और HC में शिकायत कर सकता है।

→ SC मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह की रिट (आदेश) जारी करती है।

Scanned by CamScanner

→ HC मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 तरह की रिट (आदेश) जारी करती है।

1 बंदी प्रत्यक्षीकरण :- अवैध हिरासत से बचने के लिए।
→ इसमें कोर्ट आदेश देती है कि बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो।

2 परमादेश :- इसमें कोर्ट सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वाह का आदेश देती है।

3 अधिकार पृच्छा लेख :- इसमें कोर्ट यह पूछती है कि इस पद पर काम करने का अधिकार किसने दिया। जिस पद की आपके पास योग्यता नहीं है।

4 उत्प्रेषण :- जब जिला न्यायालय किसी ऐसे मामले पर फैसला सुना देता है, जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है तो SC उस मामले को अपने पास मंगवा लेती है और जिला न्यायालय के फैसले को स्वयं देखती है।

5 प्रतिषेध लेख :- इसमें SC या HC जिला न्यायालय को उन मामलों पर फैसला सुनाने से रोकती है जो उसके अधिकार से बाहर है।

Note :- भाग-3 को संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

[भाग - 4]

→ संविधान के भाग-4 में राज्य के निति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद-36 से 51 तक है।
→ राज्य के नीति-निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।
→ ये न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है
→ यही गांधी जी का साम्राज्य था।
→ ये सरकार को आधारभूत तत्व प्रदान करते हैं।
→ ये सरकार के लिए सामान्य निर्देश है।

Scanned by CamScanner

अनुच्छेद 36 :- इसमें परिभाषा दी गई है।
अनुच्छेद 39 :- समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान।
अनुच्छेद 39A :- समान न्याय एवं मुफ्त क़ानूनी सलाह
अनुच्छेद 40 :- पंचायत का प्रावधान
अनुच्छेद 41 :- समान नागरिक संहिता

संहिता दो प्रकार की होती है - (i) फौजदारी (ii) दीवानी संहिता
(i) फौजदारी संहिता :- यह हिंदू-मुस्लिम के लिए समान है।
(ii) दीवानी संहिता :- इसमें हिंदुओं तथा मुस्लिमों के लिए अलग-2 नियम हैं। हिंदू केवल एक विवाह कर सकता है जबकि मुस्लमान 4 विवाह कर सकता है।
अनुच्छेद 45 :- शिक्षा का प्रावधान (6 से 14 वर्ष के बच्चो के लिए 86 वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।
अनुच्छेद 48 :- कृषि एवं पशुपालन का संगठन
→ दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक।
अनुच्छेद 48A :- वनों एवं वन्य जीवों का सरक्षंण एवं सवंर्द्धन
अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका तथा न्याय पालिका का विभाजन
अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय महत्व के भवनों एवं स्मारकों का सरक्षंण एवं सवर्द्धन
अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने एवं मे सहयोग

[भाग-4 A]

→ इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है।
→ मौलिक कर्तव्यो का प्रावधान सोवियत संघ या रूस से लिया है।
→ सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर 42वे संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संसद ने संविधान मे मौलिक कर्तव्य जोडे।
→ स्वर्ण सिंह समिति चाहती थी कर्तव्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जाए। परंतु संसद ने यह कहकर मना कर दिया कि भारत के लोगो का संविधान पर विश्वास है। इसलिए इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

Scanned by CamScanner

→ जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे परंतु आज 11 मौलिक कर्तव्य है।
→ 11वां मौलिक कर्तव्य → शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान मे जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना माँ-बाप की जिम्मेवारी है।

[भाग-5]

अनुच्छेद - 52 से 151 तक
→ इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल जैसे पदाधिकारियों का वर्णन है।
→ अटॉर्नी जनरल :- इसे महान्यायवादी भी कहते है।
↳ अनुच्छेद → 76
↳ यह देश का प्रथम विधि / कानून अधिकारी होता है।
योग्यता → जो योग्यता SC के जज के लिए होती है, वही इसके लिए योग्यता है।
→ महान्यायवादी की शपथ, नियुक्ति, इस्तीफा से संबंधित सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है।
→ इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादानुसार होता है।
→ इसका वेतन 2.5 लाख होता है।
→ इसको हटाने की संविधान मे कोई प्रक्रिया नहीं है।
→ यह भारत सरकार का वकील होता है।
→ यह संसद की मीटिंगों मे भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है परंतु वोट नहीं डाल सकता।
→ भारत के प्रथम महान्यायवादी → M.C. शीतलवाड़
→ भारत के वर्तमान महान्यायवादी → K.K. वेणुगोपाल

Shiv Jeet

Scanned by CamScanner

÷ संसद में प्रयोग होने वाली Term ÷

→ **स्थगन** :- सत्रों के बीच एक छोटा अवकाश जो कुछ दिनों या कुछ घंटों का होता है, उसे स्थगन कहते है।
→ लोकसभा में यह फैसला लोक सभा अध्यक्ष करता है।
→ राज्यसभा में यह फैसला राज्यसभा का सभापति करता है।

→ **सत्रावसान** :- सदन को समाप्त करना, यह फैसला राष्ट्रपति लेता है।

→ **गिलोटीन** :- जब किसी बहस को रोकना हो तो गिलोटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है।

→ **भंग** :- प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है।
→ मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ~~सदन~~ विधानसभा को भंग करता है।

→ **गणपूर्ति (कोरम)** :- गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या है जिसके द्वारा किसी भी दिन किसी भी समय संसद की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
→ सदनों के लिए यह संख्या → 1/10
→ समितियों के लिए यह संख्या → 1/3

→ **विपक्ष का नेता** → जिस दल के पास कुल सीटों का 10 प्रतिशत हो तो उसे विपक्ष दल कहते हैं।
→ विपक्ष दल के सदस्य अपना एक नेता चुनते हैं जिसे विपक्ष का नेता कहा जाता है।
→ इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलती है।

→ **प्रश्नकाल** :- संसद में किसी भी दिन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्न से शुरू होती है।
समय :- 11 से 12 बजे
→ इस दौरान तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते है।

① **तारांकित प्रश्न** :- ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते है। ये एक दिन में अधिकतम 20 पूछे जा सकते है। तथा इन प्रश्नों का जवाब तुरंत व मौखिक दिया जाता है। इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते है।

Scanned by CamScanner

(ii) अतारांकित प्रश्न :- इन प्रश्नों का जवाब कुछ समय बाद तथा लिखित में दिया जाता है, इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

(iii) अल्पसूचना प्रश्न :- ये प्रश्न 10 दिन पहले सूचना देकर पूछे जाते हैं। इनका जवाब लिखित में दिया जाता है। इनमें भी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते।

शून्यकाल :- इसका समय 12 से 1 बजे होता है। इसमें भी पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य नहीं है।

→ शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की ही देन है। शून्यकाल मीडिया के द्वारा बनाया गया लोकप्रिय शब्द है।

→ पहले संविधान के तीन ~~स्तंभ~~ स्तंभ माने जाते थे - (i) विधायिका (ii) कार्यपालिका (iii) न्यायपालिका

→ परंतु अब चौथा स्तंभ मीडिया को बनाया गया है।

Scanned by CamScanner

÷ मिश्रित (Mixed) ÷

1 वित्त आयोग :- वित्त आयोग की स्थापना 1951 ई० में हुई।
→ इसका संविधान के अनुच्छेद-280 में वर्णन है
→ इसमें एक अध्यक्ष व चार अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।
कार्य :- केन्द्र व राज्य सरकार के बीच टैक्स का बँटवारा करना।
कार्यकाल :- 5 वर्ष / आवश्यकतानुसार
→ प्रथम अध्यक्ष → K.C. नियोगी (1952-57)
→ वर्तमान 14वाँ अध्यक्ष → Y.V. रेड्डी (2015-20)
→ 15वाँ अध्यक्ष होगा → N.K. सिंह (2020 से)

÷ [अनुच्छेद-370 जम्मू कश्मीर] ÷

→ जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है तथा अलग ही राष्ट्रीय ध्वज है।
→ इसमें दोहरी नागरिकता है।
→ संपत्ति का अधिकार केवल जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को है।
→ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है।
→ राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में दो महिला सदस्य मनोनित की जाती है।
→ राज्यपाल के पद को पहले "सदर-ए-रियासत" के नाम से जाना जाता था।

Note :- हाल ही में 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया।
→ यह 31 अक्तुबर 2019 से लागू होगा।
→ जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है।

Scanned by CamScanner

चुनाव आयोग:- इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद-324 से 329 में है।

→ इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
→ 1989 ई० में चुनाव आयोग को 3 सदस्यों की संस्था बना दिया।
→ 3 में से 1 मुख्य होता है तथा दो अन्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

कार्यकाल:- 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। जो दशा पहले पूरी होती है उसी दिन रिटायर हो जाता है।

वेतन:- 2.5 लाख

→ चुनाव आयुक्तों को हटाने की वही प्रक्रिया है जो SC के जजों को हटाने की प्रक्रिया है।
→ प्रथम चुनाव आयुक्त → सुकुमार सेन
वर्तमान चुनाव आयुक्त → सुनील अरोड़ा - 2 दिसंबर 2018 से अक्तुबर 2021 तक

योजना आयोग

स्थापना:- 15 मार्च 1950

→ यह एक गैर संवैधानिक संगठन है।
→ इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है
→ इसके प्रथम अध्यक्ष → पं जवाहर लाल नेहरू
इसके प्रथम उपाध्यक्ष → गुलजारी लाल नंदा
→ 15 अगस्त 2014 को नरेन्द्र मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त करके नए आयोग नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की।
→ नीति आयोग → NITI → National Institution for Transforming India
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
→ स्थापना → 1 जनवरी 2015
→ इसके प्रथम अध्यक्ष → नरेन्द्र मोदी जी
→ इसके प्रथम उपाध्यक्ष → अरविंद पनगढ़िया
→ इसके वर्तमान उपाध्यक्ष → राजीव कुमार
→ इसके पहले CEO → सिंधु श्री खुल्लर
→ इसके वर्तमान CEO → अमिताभ कांत

Scanned by CamScanner

कार्य :- पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना लेकिन अब 15 वर्षीय योजनाएं तैयार करता है।
→ यह केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच सेतु (पुल) का कार्य करता है।

÷ संस्थाएं ÷

→ संस्थाएं तीन प्रकार की होती है—

(i) पूर्व संवैधानिक :- ये संविधान से पहले गठित संस्थाएं होती है इनका संविधान में वर्णन होता है।

जैसे :- (i) हाईकोर्ट - अनुच्छेद-214 → 1862 ई० में स्थापित
(ii) U.P.S.C. - अनुच्छेद-315 → 1926 ई० में गठित
(iii) चुनाव आयोग - अनुच्छेद 324 → 25 जनवरी 1950 में स्थापित

(ii) संवैधानिक :- ये संविधान लागू होने के बाद बनी तथा इनका संविधान में वर्णन है। जैसे :-
1 सुप्रीम कोर्ट → अनुच्छेद-124 → 28 जनवरी 1950 लागू
2 वित आयोग → अनुच्छेद-280 → 1951 ई० में स्थापित

(iii) गैर संवैधानिक :- इनका संविधान में कोई वर्णन नहीं होता।
→ ये दो प्रकार की होती है।

(क) सांविधिक :- इनका संविधान में वर्णन नहीं होता। ये संसद द्वारा स्थापित की जाती है जैसे :-
SSC, UGC, SEB।

(ख) गैर-सांविधिक → संविधान में वर्णन नहीं होता न ही ही संसद द्वारा स्थापित की जाती। ये कैबिनेट मंत्रियो द्वारा बनाई जाती है।
जैसे :- N.D.C. नीती आयोग आदि।

Shiv Jeet

Scanned by CamScanner

भारत में लागू कानून

→ भारत पर शासन करने वाले अंतिम अंग्रेज थे।
→ अंग्रेज 1600 ई० में भारत आये। ये इंग्लैण्ड के निवासी थे। ये भारत में व्यापारी बनकर आए।
→ इन्होंने रॉयल चार्टर के अंतर्गत एलिजाबेथ से व्यापार की अनुमति ली।
→ अंग्रेजों ने पहला कानून 1773 ई० में बनाया, जिसे 1773 ई० का रेग्युलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद ~~भारत के~~ गवर्नर जनरल में बदल दिया।
→ बंगाल के पहले गवर्नर जनरल → वारेन हेस्टिंग्स थे
→ इसी एक्ट के द्वारा 1774 ई० में कलकत्ता में SC की स्थापना हुई, जिसमें 4 जज थे।
→ मुख्य जज को लॉर्ड इम्पे के नाम से जाना जाता था।

1784 पिट्स इंडिया एक्ट :- दोहरे शासन का आरंभ
→ इस एक्ट के द्वारा दो संस्थाओं की स्थापना की गई -
1. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स → व्यापारिक मामलों के लिए
2. बोर्ड ऑफ कंट्रोलर → राजनीतिक मामलों के लिए

1793 का चार्टर अधिनियम :-
→ इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई।

1813 का चार्टर अधिनियम :-
→ इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय, चीन, अफीम पर एकाधिकार रखा गया।
→ इस एक्ट में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान पर भारत में 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया।

Shiv Jeet

Scanned by CamScanner

⇒ 1833 का चार्टर अधिनियम :-

→ इस एक्ट के द्वारा कंपनी के बचे हुए एकाधिकार भी समाप्त कर दिए।
→ इसी मे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया।
→ भारत के पहले गवर्नर जनरल → विलियम बैंटिक

⇒ 1853 का चार्टर अधिनियम →

→ इसके द्वारा भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा आरंभ की यह परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय 1863 मे सत्येन्द्रनाथ टैगोर थे।

⇒ 1858 का चार्टर अधिनियम Govt. of India :-

→ यह ब्रिटिश सरकार के बेहतर अधिनियम से प्रसिद्ध है।
→ इसके द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय मे बदल दिया
→ लार्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे।
→ इसी एक्ट के द्वारा दोनो संस्थाओ को समाप्त कर दिया गया।
→ इस एक्ट के द्वारा लंदन मे सचिव की व्यवस्था शुरू की।
→ इस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथो मे ले लिया।

⇒ 1861 इंडिया कौंसिल एक्ट :-

इस एक्ट के द्वारा भारत मे विभागीय व्यवस्था की स्थापना की गई। जैसे कृषि विभाग, वित्त विभाग, सेना विभाग इत्यादि।
→ यह एक ऐसा एक्ट था जिसे बनाने के लिए पहली बार भारतीयो की सलाह ली गई।

⇒ 1909 मार्ले-मिंटो सुधार :-

→ इस एक्ट के लागू होने के समय मार्ले सचिव था तथा लार्ड मिंटो वायसराय थे।
→ इस एक्ट के द्वारा ~~सिक्खों व ईसाइयों~~ मुसलमानो के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई।
→ ~~इसी एक्ट~~ के द्वारा महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया।
→ ~~केन्द्र मे द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई।~~

Scanned by CamScanner

→ इसी एक्ट को भारत विभाजन का कारण माना जाता है, क्योंकि भारत के विभाजन का बीजारोपण इसी एक्ट से हुआ है।

→ इसी एक्ट के द्वारा पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया

1919 मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार :-

सचिव → मांटेग्यु   वायसराय → चेम्सफोर्ड

→ इस एक्ट के द्वारा सिक्खो-इसाइयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई।

→ इस एक्ट द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया

→ केन्द्र मे द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई।

→ प्रांतों मे दोहरा शासन लागू किया गया

दोहरा शासन
- दीवान (कर एवं राजस्व)
- सूबेदार (दायित्व)

1935 भारत शासन अधिनियम :-

→ इसे भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है।

→ इसे लघु संविधान भी कहा गया है। क्योंकि वर्तमान संविधान मे सबसे ज्यादा अनुच्छेद (250) इसी एक्ट से ली गई हैं।

→ 1935 का अधिनियम तीनो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम तथा साइमन कमिशन का परिणाम था।

→ इसी एक्ट के द्वारा RBI की स्थापना की गई।

→ इसी एक्ट के द्वारा प्रांतों मे दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया।

Scanned by CamScanner

:- राष्ट्रीय विकास परिषद National Revolpment Council) :

स्थापना :- 1952 ई० में।

अध्यक्ष :- प्रधानमंत्री

सदस्य :- केन्द्रिय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रशासित प्रदेशों के cm और प्रकाशक, नीति आयोग के सदस्य।

कार्य :- पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना।

:- समितियाँ :-

→ समितियाँ 2 तरह की होती है।

(i) स्थायी (ii) अस्थायी

Scanned by CamScanner

÷ प्रमुख संविधान संशोधन ÷

→ भारत के संविधान के भाग-20 व अनुच्छेद-368 में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में कुछ नया जोड़ा जा सकता है या पुराना हटाया जा सकता है।

1951 :- पहला संविधान संशोधन
→ इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
→ यह संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है।

1952 :- दूसरा संविधान संशोधन
→ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया।

1956 :- 7वां संविधान संशोधन
→ इसमें 14 राज्यों व 6 केन्द्रशासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया
→ राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना → 1953 ई०

1961 :- 10वां संविधान संशोधन
→ इसके द्वारा दादरा-नगर हवेली को भारत का अंग बनाया गया।

1962 :- 12वां संविधान संशोधन
→ इसके द्वारा गोवा व दमनदीव को भारत का अंग बनाया।

1962 :- 13वां संविधान संशोधन
→ नागालैण्ड राज्य बना

1962 :- 14 वां संविधान संशोधन
→ पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया।

1966 :- 18 वां संविधान संशोधन
→ हरियाणा राज्य तथा चण्डीगढ़ केन्द्रशासित प्रदेश बना।

1967 :- 21 वां संविधान संशोधन
→ 8 वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।

1973 :- 31 वां संविधान संशोधन
→ लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।

Scanned by CamScanner

1975 :- 36वां संविधान संशोधन
→ सिक्किम राज्य बना

1976 :- 42वां संविधान संशोधन
→ स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर मूल कर्तव्य जोड़े गए।
→ मूल कर्तव्य → भाग-4A अनुच्छेद-51A
↳ रूस से लिए गए हैं।
→ प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए समाजवाद, अखण्डता, व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए।
→ इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है।

1978 :- 44वां संविधान संशोधन
→ इसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया।
→ इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A
→ जीवन की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की

1985 :- 52वां संविधान संशोधन
→ इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल-बदल से संबंधित है।

1987 :- 56वां संविधान संशोधन
→ गोवा को 26वें राज्य के रूप में शामिल किया।

1987 :- 58वां संविधान संशोधन
→ भारतीय संविधान का हिन्दी स्वरूप आया।

1989 :- 61वां संविधान संशोधन
→ मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई,
→ वोट देने का अधिकार अनुच्छेद-326 में है।

1992 :- 71वां संविधान संशोधन
→ इसमें संविधान में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई,
न म क
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी

992 :- 73वां संविधान संशोधन
→ इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध पंचायत से है। पंचायत को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं।

Scanned by CamScanner

1992 :- 74 वें संविधान संशोधन
→ इसके तहत 12वीं अनुसूची जो गई, जिसमें शहरी निकाय का वर्णन है, इसे 18 विषय दिए गए है।

2002 :- 86 वां संविधान संशोधन
→ इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।

2003 :- 91वें संविधान संशोधन
→ इसके तहत लोकसभा व विधानसभा में 15% से ज्यादा सदस्य मंत्री नहीं बन सकते।
→ जिन विधानसभाओं में 60 सीटों से कम है वहां कम-से-कम 12 मंत्री होने चाहिए।

2003 :- 92वां संविधान संशोधन इसके तहत 8वी अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। मैथिली, सथांली, डोगरी, बोडो

2015 :- 100वां संविधान संशोधन
→ यह भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है

2017 :- 101 वां संविधान संशोधन
→ इसके तहत 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया।

Shiv Jeet
9729504909

Scanned by CamScanner

÷ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ :-

→ भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान है।
→ अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है।
→ भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है।
→ भारत का लिखित संविधान है।
→ विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है।
→ ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जिसमे 7000 शब्द है।
→ भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया है।
→ भारत का संविधान न तो कठोर न ही लचीला है।
→ विश्व का सबसे कठोर संविधान → अमेरिका
→ विश्व का सबसे लचीला संविधान → ब्रिटेन
→ भारत मे लोकतांत्रिक प्रणाली है।
→ मूल संविधान में मूल कर्तव्य नही थे।
→ भारतीय संविधान मे जनता सर्वोपरि है।
→ भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है।
→ भारतीय संविधान मे त्रिस्तरीय दायाँ प्रणाली है।
→ भारत मे ससंदीय शासन प्रणाली है, जो ब्रिटेन से ली गई है।
→ भारतीय संविधान के तीन अंग है → राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा
→ भारतीय ससंद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है।
→ ससंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
→ सांसदों के वेतन का निर्माण ससंद करती है।
→ ससंदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है।
→

Scanned by CamScanner

÷ महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ÷

अनुच्छेद 1:- भारत राज्यों का संघ है।

अनुच्छेद 2:- किसी भी बाहरी देश का राज्य के शामिल होने की प्रक्रिया।

अनुच्छेद 3:- राज्य के नाम, क्षेत्र व स्थापना

अनुच्छेद 5-11:- नागरिकता से संबंधित

अनुच्छेद 12-35:- मौलिक ~~कर्तव्य~~ अधिकार

अनुच्छेद 36-51:- राज्य के नीति निर्देशक तत्व

अनुच्छेद 51 A:- मौलिक कर्तव्य

राष्ट्रपति:-
अनुच्छेद 52:- राष्ट्रपति का पद
53:- शक्ति तथा कार्य
54:- निर्वाचन व्यवस्था
61:- महाभियोग
72:- क्षमादान
85:- लोकसभा का विघटन
123:- अध्यादेश जारी करना
143:- सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना

SHIV JEET ☆

उपराष्ट्रपति:- अनुच्छेद 63:- उपराष्ट्रपति का पद
64:- राज्यसभा का सभापति

प्रधान मंत्री:- अनुच्छेद 74:- मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री का पद
75:- प्रधानमंत्री की नियुक्ति

संसद:- अनुच्छेद 79:- संसद का वर्णन
80:- राज्यसभा
81:- लोकसभा
100:- जब वोट 50-50 हो तो निर्णायक मत
105:- संसद का विशेषाधिकार

Scanned by CamScanner

अनुच्छेद 108 :- दोनो सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

अनुच्छेद 110 :- धन विधेयक (इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष)

112 :- बजट

116 :- लेखा अनुदान

117 :- वित्त विधेयक

सर्वोच्च न्यायालय :-

अनुच्छेद 124 :- सर्वोच्च न्यायालय

131 :- मूल आरंभिक अधिकार

137 :- न्यायिक पुर्नविलोकन

143 :- राष्ट्रपति को सलाह

अनुच्छेद 76 :- महान्यायवादी

148 :- CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक

153 :- राज्यपाल

168 :- विधानमंडल

169 :- विधानपरिषद

170 :- विधानसभा

163 :- मुख्यमंत्री व मंत्रीपरिषद

331 :- लोकसभा मे मनोनित सदस्य

80(3) :- राज्यसभा मे मनोनित सदस्य

333 :- राज्यपाल द्वारा विधानसभा मे मनोनित सदस्य

214 :- हाइकोर्ट

233 :- जिला न्यायालय

129 :- सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय

280 :- वित आयोग

324 :- चुनाव आयोग

315 :- संघ लोक सेवा आयोग

Union Public Service Commission

Scanned by CamScanner

अनुच्छेद 352 :- राष्ट्रीय आपातकाल (अब तक 1962, 1971, 75)

356 :- राष्ट्रपति शासन

360 :- वित्तीय आपातकाल (अब तक 1 बार भी नहीं लगा)

Scanned by CamScanner

÷ लोकपाल ÷

⇒ लोकपाल का प्रावधान स्वीडन से लिया गया है।
⇒ भारत में लोकसभा में लोकपाल 17 दिसंबर 2013 में पारित हुआ।
⇒ भारत के पहले लोकपाल → पिनाकी चन्द्र घोष
↳ 19 मार्च 2019 को नियुक्त हुए।
→ लोकपाल में कुल 9 सदस्य है।
→ लोकपाल की नियुक्ति → राष्ट्रपति
कार्यकाल → 5 वर्ष
अधिकतम आयु → 70 वर्ष
योग्यता आयु → 45 वर्ष
वेतन → 2.80 लाख
⇒ भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति → महाराष्ट्र
⇒ लोकायुक्त का अर्थ → जनता का रखवाला
⇒ जब लोकपाल बिल पारित हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति → प्रणव मुखर्जी
→ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही लोकायुक्त बनते है।

Scanned by CamScanner

THANKS

PLZZ SHARE

IT.

URS:- SHIV JEET

97295-04909

Scanned by CamScanner